

## इयूटी संचरण प्रणाली।

30प्र0 होम गार्ड्स अधिनियम-1963 के पैरा-4 में होम गार्ड्स के कार्यों का निर्धारण किया गया है जिसमें निम्नानुसार कार्य निर्धारित किये गये हैं:-

1. वे पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे।
2. वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे।
3. वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जो नियत किये जायें, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करेंगे।
4. वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे।
5. वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें।

होम गार्ड्स अधिनियम के पैरा-8 के बिन्दु **^a\*\*** में निम्नानुसार निर्देश पारित किये गये हैं:-

- (a) the District Magistrate (or the District Commandant) may by order call out any Home Guards attached to a unit posted in the district for duty in any area within that district;
- (b) the Commandant-General or such officer of the Home Guards as may be authorized by him in this behalf, may call out any home guard for duty in any part of the State or outside the State.

### होम गार्ड्स इयूटी विवरण:-

होम गार्ड्स अधिनियम में उपरोक्त अंकित व्यवस्था के क्रम में होम गार्ड्स प्रदेश के सभी जनपदों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत नियमों के अधीन तैनात होकर इयूटी सम्पादित करते हैं। होम गार्ड्स मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में विभिन्न जनपदों में होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन आयुक्त, जिलाधिकारी, डी0जी0पी0 रिजर्व, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कोटे का निर्धारण सुनिश्चित किया गया।

सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत जनपद के निर्धारित कोटे के अन्तर्गत जिला कमाण्डेण्ट/जिलाधिकारी से शान्ति व्यवस्था इयूटी हेतु माँग की जाती है। उक्त माँग पर जिला कमाण्डेण्ट, होम गार्ड्स द्वारा जिलाधिकारी कोटे की स्वीकृति जिलाधिकारी से तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त कोटे से आच्छादित होम गार्ड्स की स्वीकृति प्राप्त कर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित "उपहार" साफ्टवेयर के माध्यम से शान्ति व्यवस्था इयूटी का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के जनपदों में लगभग 60000 होम गार्ड्स स्वयंसेवक सामान्य शान्ति व्यवस्था इयूटियों पर तैनात हैं।

शान्ति व्यवस्था की उपरोक्त इयूटियों के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के इयूटी भर्तों का भुगतान किये जाने के आधार पर लगभग 3500 होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को भी एन0आई0सी0 द्वारा विकसित "उपहार" साफ्टवेयर के माध्यम से इयूटी पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

30प्र0 शासन में अतिविशिष्ट महानुभावों यथा-महामहिम श्री राज्यपाल, मा0 मुख्य मंत्री, 30प्र0 के कार्यालय/आवास, मा0 उप मुख्य मंत्री, 30प्र0 शासन मा0 पूर्व मुख्य मंत्रियों तथा शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों यथा-मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव, होम गार्ड्स एवं शासन के अन्य अधिकारियों एवं अनुभागों में तथा माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 1500 होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त होम गार्ड्स स्वयंसेवक प्रदेश के सभी जनपदों में डायल-112 के दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के परिचालन हेतु लगभग 10,000 होम गार्ड्स स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार 1736 होम गार्ड्स स्वयंसेवक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला कारागारों की सघन सुरक्षा हेतु इयूटीरत हैं। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को बाढ़ राहत हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ की स्थिति में ऐसे बाढ़ राहत प्रशिक्षित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।

### **इयूटी प्रतिस्थापन प्रणाली:-**

शासनादेश संख्या-103/छःनासु-11-495होगा/09, दिनांक 27 जनवरी, 2011 के अनुक्रम में वर्ष 2013 से प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन हेतु पूर्व में निर्धारित मैनुअल प्रतिस्थापन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से आन-लाइन होम गार्ड्स का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे एक वृहद प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को इयूटी पर नियोजित किये जाने हेतु निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के लिये होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का आन-लाइन विभिन्न इयूटियों पर नियोजन सुनिश्चित किया गया, जो अपने आप में एक अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण कार्य है।

“उपहार” साफ्टवेयर होम गार्ड्स को समान रूप से डियूटी के अवसर उपलब्ध कराने के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है। साफ्टवेयर सभी होम गार्ड्स को एक समान डियूटी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मानव दिवस के आधार पर कम अवसर प्राप्त होम गार्ड्स को वरीयता प्रदान करते हुए डियूटी प्रतिस्थापन करता है। मानव दिवस के आधार पर अवसर को वरीयता प्रदान किया जाना डियूटी प्रतिस्थापन का महत्वपूर्ण कारक है। द्वितीय कारक के रूप में साफ्टवेयर डियूटी स्थल की दूरी, तदनुसार होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की उपलब्धता के अनुसार चयन करता है। तृतीय कारक के रूप में विभिन्न प्रशिक्षणों को ग्रहण करता है यथा आधारभूत प्रशिक्षण, अग्निशस्त्र प्रशिक्षण, यातायात प्रशिक्षण, डायल 112 प्रशिक्षण, अग्निशमन प्रशिक्षण इत्यादि प्रशिक्षणों के अनुसार माँग के सापेक्ष डियूटी प्रतिस्थापन को साफ्टवेयर प्रणाली द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके उपरान्त साफ्टवेयर होम गार्ड्स द्वारा दिये गये विकल्पों को भी उपरोक्त क्रम में वरीयता प्रदान करते हुए डियूटी प्रतिस्थापन का कार्य सुनिश्चित करता है जो पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वर्ष 2013 से निष्पादित किया जा रहा है।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के साफ्टवेयर से डियूटी प्रतिस्थापन के उपरान्त होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को एस0एम0एस0 के माध्यम से उनकी निर्धारित डियूटी की सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। होम गार्ड्स स्वयंसेवक अपनी निर्धारित डियूटी “होमगार्ड्स डियूटी संचरण प्रणाली के पोर्टल” पर भी कम्पनी वार अथवा इयूटी स्थल वार अवलोकित कर सकते हैं। होम गार्ड्स अपना

व्यक्तिगत प्रोफाइल भी इस पोर्टल पर सीधे अवलोकित कर सकते हैं तथा अपने प्रोफाइल में किसी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कार्यालय प्रयोग हेतु इस साफ्टवेयर में यूजर के तीन स्तर निर्धारित किये गये हैं। विभिन्न स्तर के प्रत्येक यूजर को लॉगिन उपलब्ध कराये गये हैं। सभी प्रकार के यूजर होम गार्ड्स संचरण प्रणाली के साफ्टवेयर में आवंटित यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। जिला/मण्डल स्तर पर तीन लॉगिन प्रदत्त हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. मण्डलीय कमाण्डेण्ट स्तर
2. जिला कमाण्डेण्ट स्तर
3. आपरेटर स्तर

मण्डलीय कमाण्डेण्ट स्तर से मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होम गार्ड्स द्वारा अपने मण्डल के अधीन जनपद के जिला कमाण्डेण्ट के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर होम गार्ड्स का बायोडाटा साफ्टवेयर में अंकित किये जाने, होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के अंकित प्रोफाइल में किसी प्रकार के संशोधन, ड्यूटी स्थलों का साफ्टवेयर में अंकन इत्यादि कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

जिला कमाण्डेण्ट के स्तर से होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का जिले के अन्तर्गत विभिन्न ड्यूटी स्थलों पर ड्यूटी प्रतिस्थापन का कार्य, ड्यूटी पर उपस्थित न होने वाले होम गार्ड्स के सापेक्ष डिफाल्टर प्रक्रिया से उक्त अनुस्थित होम गार्ड्स के स्थान पर नये होम गार्ड्स के प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्य इत्यादि का सम्पादन किया जाता है।

आपरेटर द्वारा विभिन्न ड्यूटी स्थलों से की गयी माँग को स्वीकृति उपरान्त साफ्टवेयर में अंकित ड्यूटी स्थलों में स्वीकृत/निर्धारित संख्या को अंकित किया जाता है तथा होम गार्ड्स के प्रोफाइल में अंकित उनके मोबाइल नम्बर में यदि कोई संशोधन होता है, तो सम्बन्धित होम गार्ड्स द्वारा मोबाइल नम्बर संशोधित किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर नया संशोधित मोबाइल नम्बर साफ्टवेयर में अंकित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।